18.3.25 पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अभिभाषक अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 5.9.24 का अवलोकन करने से ज्ञात आया की वादी नाथु की मृत्यु हो चुकी है। तभी से नहीं वादी के वारिसान उपस्थित न ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुए लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कुबाल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा